रेलवे ज़ोन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल जनवरी में जब जबलपुर में रेलवे ज़ोन बनाने की घोषणा की गई और बिलासपुर डिवीज़न से रायपुर डिवीज़न को अलग किया गया तो वहां इतनी तोड़-फोड़ मची कि कम से कम तीन सौ करोड़ रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ और तब से छात्र अभी तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और स्थिति बड़ी विकट बनी हुई है। मैं मांग करना चाहता हूं कि जबलपुर में या कहीं और भी रेलवे ज़ोन बने, हमारा उससे विरोध नहीं है लेकिन बिलासपुर की मांग जायज़ है। वहां शीघ्र ही दसवें रेलवे ज़ोन की स्थापना की जाए क्योंकि वर्तमान रेल मंत्री, श्री राम विलास पासवान जब वहां गए थे तो उन्होंने भी इस मांग को जायज़ बताया था और घोषणा की थी और इस सिलसिले में हमें छला जा रहा है। उसी तरह से हाई कोर्ट की एक खंड पीठ की स्थापना के लिए हम वर्षों से मांग कर रहे हैं। जसवन्त सिंह कमीशन के निर्देश को भी माना नहीं जा रहा है। इसको तत्काल लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की शीघ्र घोषणा की जाए।

श्री राघवजी: मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूं।

REPORTED DECISION OF AIR INDIA TO GRANT FREE AIR PASSES FOR LIFE TO THE MEMBERS OF ITS BOARD

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर एक अहम मसला रखना चाहता हूं। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि एयर-इंडिया के बोर्ड के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया है और उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव रखा है कि पूरे जीवन-काल में, एयर इंडिया के बोर्ड की सदस्यता समाप्त होने के बावजूद उनको फ्री एयर-पास की सुविधा मिलेगी। हमारे गरीब मुल्क में जहां पर इतनी गरीबी है, अभी-अभी हमारे साथी कालाहांडी का जिक्र कर रहे थे, ऐसे मुल्क में एयर-इंडिया के बोर्ड में काम करने के लिए किसी को रखा जाता है वहां पर आप मुफ्तखोरी का प्रस्ताव रखते हैं? इससे भी ज्यादा खेद की बात है कि ऐसा समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि एयर-इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को इस बारे में कुछ पता नहीं था और उनकी जानकारी के बिना यह प्रस्ताव न सिर्फ आया बल्कि पास भी हो गया है। साथ-साथ भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रूसी मोदी जिनका कार्यकाल दो साल के अंदर ही समाप्त हो गया, अमूमन एयर-इंडिया की यह परंपरा रही है कि जो अध्यक्ष तीन साल तक काम करते हैं उनको फ्री एयर-पास की सुविधा मिलती है लेकिन इस बार ऐसा किया गया कि दो साल के कार्यकाल के अध्यक्ष को भी यह सुविधा मिलेगी, यह सीधे-सीधे निवर्तमान अध्यक्ष को सुविधा देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। मुझे बड़ा खेद है कि एयर-इंडिया जैसी संस्था जो पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही है, जिसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, उस पर यह अतिरिक्त भार बिना वजह लादा जा रहा है। इस बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय नागरिक विमानन मंत्री श्री सी०एम० इब्राहीम सदन को आश्वस्त करें कि वहां इस तरह का जो गलत काम हो रहा है, जो फिजूलखर्ची का प्रस्ताव लाया गया है वे उस पर अविलम्ब रोक लगाएंगे और साथ-साथ एयर-इंडिया के विजिलेंस डायरेक्टर की क्या रिपोर्ट है, इसको भी सदन के पटल पर रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

NON-IMPLEMENTATION OF THE PERSONS WITH DISABILIIES

(EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT 1995

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर मसले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। गत तीन दिसम्बर को विश्व विकलांग दिवस था। भारत सरकार ने विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर कई विकलांगों और विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किए। मैं इसकी सराहना करती हूं। इससे विकलांगों को प्रोत्साहन मिलता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

सिर्फ अवार्ड देने से विकलांगों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं। महोदय, विकलांगों को सुविधा देने के लिए गत एक जनवरी, 96 में एक कानून बनाया गया था। कानून का नाम था "अशक्त व्यक्ति अधिनियम समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण साझेदारी, 1995"। इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद भी भारत सरकार के कयाण मंत्रालय ने अभी तक इस अधिनियम को लागू करने में जरूरी कदम नहीं उठाया है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली के मुख्य कार्यालय में और प्रत्येक राज्य में आयुक्त नियुक्त किया जाना आवश्यक है। इसी तरह केन्द्र और प्रत्येक राज्य में विकलांगों की समस्याओं को

दूर करने के लिए समन्वय समितियों का गठन किया जाना चाहिए। बिना समितियों के विकलांगों की समस्या हल नहीं हो सकती है। कानून पास कर देने से सरकार समझती है कि उसके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। अगर सरकार विचारपूर्वक, विवेकपूर्वक किसी कानून को पास करती है क्या उसका अनुपालन कराये जाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी? अशक्त व्यक्ति अधिनियम कानून बन गया और सरकार ने समझ लिया कि भारत के सभी विकलांगों को सुविधा मिल गई और सभी समस्याएं हल हो गई। अशक्त व्यक्ति अधिनियम में विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता और उनकी सुरक्षा की योजना के प्रावधान हैं। संसद में वह बिल पास होने में सिर्फ दस मिनट लगे थे लेकिन लागू करने में इतनी देर क्यों हो गई? दस मास से ज्यादा समय से पास होने पर भी अभी तक लागू नहीं हुआ। विकलांगों के हितों के लिए कार्य करने वाले संगठनों ने केन्द्र सरकार से यह मांग की है कि समन्वय समिति में मात्र सरकारी अधिकारियों को न रखे बल्कि विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विकलांगों की समस्या जानने वाले प्रतिनिधि होने से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विकलांगों को मिल सकता है। इस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई हैं, इन कमियों को तत्काल दूर करने की मांग उठी है।

दिल्ली विश्व विद्यालय में विकलांगों के लिए तीन परसेंट छूट दी गई है लेकिन ऐसी सुविधा स्कूलों में दाखिले के बारे में नहीं है। इस कानून के खण्ड 39 में कहा गया है कि "सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे।" लेकिन यह वाक्य अध्याय छह में रोजगार के अन्तर्गत लिखा है, अध्याय पांच शिक्षा के अन्तर्गत नहीं लिखा है। संस्थाओं का मत है और मांग भी है कि इस सुविधा को शिक्षा के अध्याय में लिखा जाना आवश्यक है। दूसरी कमी उम्र की है। स्कूल और कालेजों में दाखिले के मामलों में विकलांग छात्रों को उम्र में छूट नहीं दी गई है। विकलांग छात्र शारीरिक क्षति से ज्यादा उम्र में उच्च कक्षा में पहुंच सकते हैं, यह छूट भी देनी चाहिए। विकलांग संस्थानों ने जो मांग की है उस पर सरकार विचार करे और संशोधन लाये। एक जनवरी में पास किया गया यह बिल तत्काल लागू करने की व्यवस्था सरकार करे। यह मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री गोविन्दराम मिरी: उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल ने जो मामला उठाया है वह वास्तव में गम्भीर मामला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अपने को इससे संबद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Thank you.

Now the House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 11th December, 1996.